अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती/13/

दिनांकः

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज।
2. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह।
3. निदेशक, आर.आर.सी./मोबाईल सर्जिकल यूनिट
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. उप निदेशक, राजकीय औषधि परिक्षण प्रयोगशाला
7. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक,

विषयः– संविदा/व्यक्तिगत अनुबन्ध/अस्थाई आधार पर की गई नियुक्ति के संदर्भ में अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अधीनस्थ सेवा में विभिन्न सवर्गो (एएनएम/एल.टी./सहा. रेडियोग्राफर/पीएचएन/नर्स–II/नेत्र सहायक/ फार्मासिस्ट/ जूनियर साईटिंफिक एसिस्टेंट/डेन्टल टेक्नीशियन) में सीधी भर्ती की जा रही है। जिसमें राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एनआरएचएम, मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी एवं सहकारिता विभाग अथवा सहकारी उपभोक्ता भण्डारों पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबन्ध/अस्थाई आधार पर की गई सेवा अवधि के आधार पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 19 में बोनस अंक एवं नियम 10 के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट दिये जाने के संबंध में प्रावधान है।

इन नियमों में उल्लेखित उक्त योजनाओं में संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर कार्यरत हैं/रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को बोनस अंक/आयु में शिथिलता हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है : –

1. नियमों में उल्लेखित योजनाओं में सविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर कार्यरत हैं/रहे हैं, उन कर्मियों को अनुभव प्रमाण–पत्र संबंधित प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज, संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, निदेशक मोबाईल सर्जिकल यूनिट, निदेशक आर.आर.सी., मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक के द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। NRHM संविदा GNM को अनुभव की दृष्टि से नर्स–2 माना जावे।
2. विभाग द्वारा **निर्धारित प्रपत्र (संलग्न)** में ही अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जावें। इस प्रमाण पत्र पर जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम मय सील के स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य है, जो कार्यालय प्रकियानुसार विधिवत रूप से डिस्पेच नम्बर एवं दिनांक अंकित किया जाना अनिवार्य है। यह अनुभव प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जावे जिसकी मुख्य प्रति अभ्यर्थी को, द्वितीय प्रति अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय को तत्काल विधिवत भिजवाई जावे तथा तृतीय प्रति कार्यालय में सत्यापन के उद्धेश्य से सुरक्षित रखी जावे।
3. आवेदन के लिये अनुभव के आधार पर बोनस अंक/आयु में शिथिलता के दावे हेतु आवेदन पत्र के साथ अनुभव प्राप्तकर्त्ता आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में आवेदन करने वाले प्रार्थियों को समय पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. सहकारी विभाग अथवा कानफेड में संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर कार्यरत हैं/रहे हैं, उन फार्मासिस्टो को जारी अनुभव प्रमाण–पत्र पर महाप्रबंधक कानफैड के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य है।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि संविदा/

व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर कार्य करने के संबंध में उसके पदस्थापित कार्यालय से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुये, रिकार्ड की पूर्ण एवं विस्तृत जॉच करने के पश्चात ही अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किये जावें। अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरती जावें।

6. संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर जो कर्मी न्यायालय के स्थगन आदेश की पालना में सेवारत हैं/रहे हैं, उन्हें जिस अवधि के लिए नियुक्त किया गया है उसी अवधि का प्रमाण–पत्र जारी किया जावें। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र पर यह स्पष्टरूप से उल्लेख किया जावे कि यह प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
7. संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर कार्यरत हैं/रहे हैं, उन कर्मियों के विभागीय नियमों के तहत अनुमत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अनुपस्थित अवधि को अनुभव अवधि में सम्मिलित नही किया जावें।
8. नियमों में वर्षवार अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान किया गया है। एक वर्ष (365 दिवस) से कम की अनुभव अवधि पर कोई बोनस अंक देय नही है। इसलिये प्रत्येक अनुभव प्रमाण पत्र में कर्मी की सेवा अवधि (कब से कब तक) का अंकन कुल वर्ष–माह–दिन में शब्दों व अंको दोनों में भी किया जावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र का प्रारूप

Sd/-
सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग
एवं
मिशन निदेशक, एनआरएचएम
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/पैरामेडिकल/सीधी भर्ती/13/13 दिनांकः 19/2/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्टार, सहकारिता समितियां, सहकारिता विभाग/प्रबन्ध निदेशक, कॉनफेड राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
7. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर
9. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2 एवं 5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/आरसीएच/आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली
16. प्रभारी, सर्वर रूम

सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग
एवं
मिशन निदेशक, एनआरएचएम
राजस्थान जयपुर

कार्यालय...

क्रमांकः—   दिनांकः—

<u>अनुभव प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पत्नि/पुत्री .... निवासी .... की नियुक्ति .... के आदेश क्रमांक.............. दिनांक..............के द्वारा .... के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर .... योजना में की गयी थी, जो इस पद पर दिनांक ....से दिनांक .... तक कार्यरत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि ....वर्ष......माह.......दिन की है।

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

कार्यालय स्टाम्प.........................

(प्रधानाचार्य मेडिकल/डेन्टल कॉलेज, अधीक्षक संलग्न चिकि. समूह, पीएमओ, सीएमएचओ, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, निदेशक एमएसयू, निदेशक आर.आर.सी., मुख्य सार्व. विश्लेषक एवं सहकारिता विभाग का सक्षम अधिकारी)